न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेश सोनी,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 252 / 2021

वादीगण	**बनाम** **प्रतिवादीगण**
1. संजूदेवी पत्नी श्री बृजलाल 2. बृजलाल पुत्र श्री केवलचंद के वारिसान 2/1. मिनाली पुत्री बृजलाल 2/2 यश पुत्र बृजलाल 2/3 सुर्यांश पुत्र बृजलाल 2/4. संजूदेवी पत्नी बृजलाल जति कंसारा सभी निवासी प्लाट नम्बर 2 पाल लिंक रोड,जोधपुर व जिला जोधपुर	1. भंवरसिंह पुत्र लालसिंह 2. झमकु बेवा लालसिंह 3. हड़मानसिंह पुत्र कल्याणसिंह 4. तुलछसिंह पुत्र कल्याणसिंह 5. गुमानसिंह पुत्र कल्याणसिंह 6. इन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह 7. भीखसिंह पुत्र मेघसिंह 8. खीमसिंह पुत्र मेघसिंह 9. जोगेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह 10. कवरीदेवी पत्नी मेघसिंह 11. भंवरसिंह पुत्र मोड़सिंह 12. पर्वतसिंह पुत्र मोड़सिंह 13. माडूदेवी पत्नी मोड़सिंह 14. अमानसिंह पुत्र चुन्नीलाल 15. धुड़सिंह पुत्र चुन्नीलाल 16. प्रेमसिंह पुत्र चुन्नीलाल 17. पेपोदेवी पत्नी चुन्नीलाल 18. धनसिंह पुत्र विरदाराम जाति पुरोहित निवासी साथुनी पुरोहितान तहसील पचपदरा व जिला बाडमेर 19. मंगलसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी [illegible] तहसील [illegible] व जिला बाडमेर 20. अमर[illegible] पुत्र [illegible] [illegible]पूत निवासी घडसी का [illegible] बाडा तहसील पचपदरा व जिला बाडमेर 21. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा व जिला बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1 श्री भूपेन्द्र गहलोत,अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।

2 प्रतिवादीगण एकतरफा।

प्राथमिक निर्णय

दिनांक–06.09.2022

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ खुर्द तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 184 व 279/175 कुल रकबा 16–05 बीघा भूमि अवस्थित है,जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 20 का 1/2 हिस्सा निहित है और वादीगण अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण व विधिवत बंटवाड़ा नही होने के कारण वादग्रस्त भूमि में मौके पर सीमाओं को लेकर पक्षकारान में आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहे है। इस कारण वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने 1/2 हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 6, 7 व 20 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया था। प्रतिवादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित की गई।

3.वादीगण साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 संजूदेवी व पी.डब्ल्यू–2 [illegible] के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी–01 ग्राम पटाऊ खुर्द की खेत खसरा संख्या 184 व 279/175 की जमाबंदी संवत 2073–2076 व ई.एक्स.पी.02–इसी ग्राम की नक्शा प्रति प्रदर्शित करवाये गयें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिये कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 20 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ खुर्द तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 184 व 279/175 कुल रकबा 16 05 बीघा भूमि अवस्थित है,जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 20 का 1/2 हिस्सा निहित है,जिसमें वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से भी खुले हुए है। वादीगण अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त करता आ रहा है,वादीगण की कब्जाशुदा भूमि में रहवासी ढाणी,पानी के टांके व मवेशी के लिए बाड़े इत्यादि बने हुए है। लेकिन वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि में अवस्थित है और खातेदारान की संख्या बल अधिक होने के कारण आये दिन वादीगण से प्रतिवादीगण सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है तथा वादीगण की कब्जा शुदा भूमि पर अवैध कब्जा करने की फिराक में रहते है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर तर्क दिये कि वादीगण की ओर से साक्ष्य गवाहान से भी प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा अनुसार मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

5. **हमनें** वकील वादीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य मे तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि ग्राम पटाऊ खुर्द तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 184 व 279/175 कुल रकबा 16–05 बीघा भूमि में अपना 1/2 हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा चाहा है और प्रतिवादी संख्या 6,7 व 20 की ओर से वादीगण के वाद तथ्यों को स्वीकार करतें हुए इकबाली जवाब पेश किया था। वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है,कि [illegible] 01 व वादी संख्या 2/1 से 2/4 का 1/4,1/4 हिस्सा नि[illegible] वादग्रस्त भूमि में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा प्रस्ताव मंगवानें के ह[illegible]र है। उक्त तथ्यों की पुष्टि वादी पक्ष की ओर से बयानात से भी स्पष्ट है,कि राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हिस्सेनुसार वादीगण बंटवाडा प्रस्ताव मंगवानें के हकदार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 8 से

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बावजूद रजिस्ट्रर्ड सम्मन तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित की गई। इससे अदालत को यह प्रतीत होता है,कि वादीगण का वाद स्वीकार करने की उक्त प्रतिवादी की ओर से मौन स्वीकृति है,यदि उक्त प्रतिवादी को वादीगण के वाद के संबध में कोई उजर–एतराज होता तो,न्यायालय में उपस्थित होकर उजर–एतराज पेश करतें। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 8 से 19 की ओर से ऐसा नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट साबित होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

6.लिहाजा वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पटाऊ खुर्द तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 184 व 279/175 कुल रकबा 16–05 बीधा भूमि में वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2/1 से 2/4 का 1/4 हिस्सा अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को 1500/शुल्क पर कमीश्नर मुकर्रर किया जाता है,कमीश्नर शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेगे। शेष खातेदारान का हिस्सा बदूस्तर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में जरिये पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल नियम 18 से 21) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हों।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 06.9.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:22 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:—श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण

1. संजूदेवी पत्नी श्री बृजलाल
2. बृजलाल पुत्र श्री केवलचंद के वारिसान

2/1. मिनाली पुत्री बृजलाल

2/2. यश पुत्र बृजलाल

2/3. सुर्याश पुत्र बृजलाल

2/4. संजूदेवी पत्नी बृजलाल

जति कंसारा सभी

निवासी प्लाट नम्बर 2 पाल लिंक रोड,जोधपुर व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरसिंह पुत्र लालसिंह
2. झमकु बेवा लालसिंह
3. हड़मानसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. तुलछसिंह पुत्र कल्याणसिंह
5. गुमानसिंह पुत्र कल्याणसिंह
6. इन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
7. भीखसिंह पुत्र मेधसिंह
8. खीमसिंह पुत्र मेघसिंह
9. जोगेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह
10. कवरीदेवी पत्नी मेघसिंह
11. भंवरसिंह पुत्र मोड़सिंह
12. पर्वतसिंह पुत्र मोड़सिंह
13. माडूदेवी पत्नी मोड़सिंह
14. अमानसिंह पुत्र चुन्नीलाल
15. धुड़सिंह पुत्र चुन्नीलाल
16. प्रेमसिंह पुत्र चुन्नीलाल
17. पेपोदेवी पत्नी चुन्नीलाल
18. धनसिंह पुत्र विरदाराम

जाति पुरोहित निवासी साथुनी पुरोहितान तहसील पचपदरा व जिला बाडमेर

19. मंगलसिंह पुत्र मोतीसिंह

जाति राजपुरोहित निवासी पटाऊ खुर्द तहसील पचपदरा व जिला बाडमेर

20. अमरसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी घड़सी का बाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर
21. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा व जिला बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) ✻ बालोतरा ✻

राजस्व वाद बाबत:—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :252/2021

निर्णय दिनांक :—06.9.2022

वादीगण की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 06.9.2022 को श्री नरेश सोनी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पटाऊ खुर्द तहसील पचपदरा की खेत [illegible] संख्या 18[illegible] कुल रकबा 16—05 बीधा भूमि में वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा व वादी संख[illegible]/1 [illegible]/4 का 1/4 हिस्सा अनुसार मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार [illegible] प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को 1500/[illegible] किया जाता है,कमीश्नर शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेगें। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को [illegible] में जरिये पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान का[illegible]री अधिनियम (राजस्व मण्डल नियम 18 से 21) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.9.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा